


5.9.23

पत्रावली पत्र हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित हुई।
वादी अधिवक्ता द्वारा नोट पेस अंकित किया गया एवं
वाद अगे नहीं चलोके अ कथन किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा नोट पेस अंकित निश्च
जाने ले वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी के
खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गये
प्रकरण फ़ैसल शुमार हाकल नम्बर से कम है।


प्रतिभा वर्मा
IAS